भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4117
उत्तर देने की तारीख : 19 मार्च, 2021

डीएनए आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियां

4117. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री निशीथ प्रामाणिक:
डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री भोला सिंह:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की न्याय वितरण प्रणाली को सहयोग प्रदान करने और मजबूत करने के लिए डीएनए आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का विस्तार करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा डीएनए प्रौद्योगिकियों के विकास और अनुप्रयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रोफाइल स्टोर करने के लिए देश-भर में डीएनए डेटा बैंक स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार "डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2021" लाने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस विधेयक पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है, या इस संबंध में अतिरिक्त परामर्श का प्रस्ताव दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) से **(ग)** बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग तथा अनुप्रयोग) नियमन विधेयक' को प्रतिपादित कर दिया है। यह विधेयक डीआक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड (डीएनए) प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा अनुप्रयोग को नियमन प्रदान करने के लिए है

जिसका उद्देश्य कतिपय श्रेणी के लोगों जिनमें पीड़ित, अपराधी, संदिग्ध, विचाराधीन, ग़ुमशुदा व्यक्ति और अज्ञात मृत व्यक्ति शामिल हैं की पहचान स्थापित करना है, साथ ही उपर्युक्त श्रेणियों के व्यक्तियों की पहचान के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक डीएनए डाटा बेस के रखरखाव के लिए, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैकों की स्थापना भी करना है। प्रारुप विधेयक में देशभर में डीएनए डाटा बैंकों की स्थापना करने का प्रावधान है।

(**घ**) **से** (**छ**) बायोटेक्नोलॉजी विभाग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) से डीएनए विधेयक से संबंधित विभाग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। पीएससी की सिफारिशों के आधार पर, अगले स्तर पर प्रस्तुत किए जाने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस स्तर पर अतिरिक्त परामर्श की आवश्यकता नहीं हैं।

****